# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार – 249404

**Website-www.ukpsc.gov.in**

दूरभाष नं0 : 01334–244143

## विज्ञापन संख्या:: A-3/E-4/2021-22

## 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021'

| | | |
|---|---|---|
| विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | :: | 26 नवम्बर, 2021 |
| ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि | :: | 17 दिसम्बर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) |

## अति महत्वपूर्ण निर्देश

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या : 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। **विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।**

(3) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

(4) फर्जी प्रमाण पत्रों (यथा शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (Debar) कर दिया जायेगा, साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(5) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा आवेदित पद, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा कोविड–19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु दिनांक 31.03.2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा में आवेदकों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए **परिशिष्ट–1** तथा परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–2,** आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–3,** श्रुतलेखक चाहने विषयक प्रपत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–4** एवं न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट–05** का अवलोकन अवश्य करें।

**(8)** आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी अन्य प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाईट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

**(9)** विज्ञापित पद पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का आयोजन "**परिशिष्ट–1**" में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जायेगा। लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा शुल्क, साक्षात्कार दिवस को जमा करना अनिवार्य होगा।

**(10)** ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने पर ही "Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि से पूर्व तक आवेदन पत्र में **त्रुटि होने पर** अभ्यर्थी अपना **आवेदन रद्द (Cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं।

**(11) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 (यथा संशोधित), जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन अवश्य करें।** साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) **विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 (समय–समय पर यथा संशोधित)** में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

**(12)** प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

**(13)** दिव्यांग अभ्यर्थी विभागानुसार पद हेतु चिन्हित श्रेणी (OA, OL, PB, PD) की निःशक्तता से ग्रस्त होने पर अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जायेगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर **दिनांक 17 दिसम्बर, 2021** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

**2. रिक्तियों की संख्या :– 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' के अन्तर्गत** रिक्तियों की कुल संख्या **776** है। रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नवत् है :–

| क्र. सं. | विभाग का नाम | पदनाम/वेतनमान | रिक्तियों की संख्या | अनिवार्य शैक्षिक अर्हता | अधिमानी अर्हता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामीण निर्माण विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 170 (UR-107, SC-17, ST-10, OBC-19, EWS-17) | उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। | (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या<br>(तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का ''सी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |
| | | कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 09 (UR-06, ST-01, OBC-01, EWS-01) | उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। | (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या<br>(तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का ''सी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |
| | | कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 03 (UR-02, OBC-01) | उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा। | (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |
| 2 | सिंचाई विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 49 (UR-36, SC-02, ST-02, OBC-04, EWS-05) | **(क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त यांत्रिक/ विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, अथवा<br>**(ख)** उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक/ विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, अथवा<br>**(ग)** अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक/ विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण–पत्र। | (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या<br>(दो) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या<br>(तीन) यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। |
| 3 | लघु सिंचाई विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 20 (UR-12, SC-02, OBC-04, EWS-02) | **(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा, या<br>**(2)** अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण–पत्र। | (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। |
| | | कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 16 (UR-08, SC-04, ST-01, OBC-02, EWS-01) | **(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा, या<br>**(2)** अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण–पत्र। | (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। |
| | | कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 03 (UR-02, OBC-01) | **(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त कृषि अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा, या<br>**(2)** अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण–पत्र। | (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। |
| 4 | पंचायतीराज विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल–7) | 21 (UR-11, SC-03, ST-1, OBC-04, EWS-02) | निम्नलिखित में से किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो –<br>1– रूड़की विश्वविद्यालय, या<br>2– हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ, या<br>3– सिविल इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ, या<br>4– अलीगढ़ इंजीनियरिंग कालेज, या<br>5– पूना इंजीनियरिंग कालेज, या | –– |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6– उड़ीसा इंजीनियरिंग कालेज, या<br>7– एम0जी0 टेक्निकल इंस्टीट्यूट या<br>राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। | |
| 5 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 79<br>(UR-42, SC-03, ST-1, OBC-25, EWS-08) | शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रिकी में 03 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। | (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या<br>(दो) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। |
| 6 | लोक निर्माण विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 183<br>(UR-150, SC-06, ST-02, OBC-07, EWS-18) | किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। | 1. प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>2. राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और<br>3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| | | कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 16<br>(UR-07, SC-03, OBC-05, EWS-01) | किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। | 1. प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>2. राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और<br>3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| | | कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 02<br>(UR-01, SC-01) | किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। | 1. प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>2. राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और<br>3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| | | कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 21<br>(UR-18, ST-01, EWS-02) | किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। | 1. प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>2. राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और<br>3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। |
| 7 | विद्युत सुरक्षा विभाग | विद्युत अवर अभियन्ता<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 09<br>(UR-06, SC-01, OBC-01, EWS-01) | सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा। | (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या<br>(दो) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |
| 8 | आवास विभाग | अवर अभियन्ता (सिविल)<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 139<br>(UR-73, SC-27, ST-06, OBC-19, EWS-14) | राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटैक्निक/तकनीकी शिक्षण संस्था से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा। | 1. क्षेत्रीय सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा कर चुका हो, या<br>2. राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। |
| 9 | कृषि विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 अभियंत्रण शाखा)<br>₹44900-142400<br>(लेवल–7) | 36<br>(UR-25, SC-05, ST-01, OBC-04, EWS-01) | किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि/सिविल/मैकेनिक/विद्युत अभियांत्रिकी में 03 वर्ष का डिप्लोमा। | (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |

**3. पद का स्वरूप :** विज्ञापित सभी पद अराजपत्रित एवं अंशदायी पेंशनयुक्त हैं तथा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), ग्रामीण निर्माण विभाग एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), आवास विभाग के पद अस्थायी एवं अन्य विज्ञापित सभी पद स्थायी हैं।

**4. विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण : 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021'** में विभागवार/पदवार, उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :–

| Department and post | Vertical Category | Total | कुल पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UF | PH | EXS | DFF | Orphan |
| ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | UR | 107 | 32 | 4 (PB-2, PD-1, OL-1) | 5 | 2 | 1 |
| | SC | 17 | 5 | 1 (PB) | 1 | 0 | NA |
| | ST | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 19 | 6 | 1 (PB) | 1 | 0 | NA |
| | EWS | 17 | 5 | 1 (PB) | 1 | 0 | NA |
| ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) | UR | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) | UR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) | UR | 36 | 11 | 2 (PB-1, PD-1) | 2 | 1 | 2 |
| | SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| लघु सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | UR | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| लघु सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) | UR | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| लघु सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) | UR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| पंचायतीराज विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | UR | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पेयजल विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | UR | 42 | 12 | 3 (PB-1, PD-1, OA/OL-1) | 2 | 0 | 1 |
| | SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 25 | 7 | 1 (PB) | 1 | 0 | NA |
| | EWS | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA |
| लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | UR | 150 | 42 | 16 (PB-2, PD-09, OA-3, OL-2) | 7 | 3 | 7 |
| | SC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 7 | 2 | 2 (PD) | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 18 | 5 | 1 (PB) | 1 | 0 | NA |
| लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) | UR | 7 | 2 | 1 (OA) | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) | UR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) | UR | 18 | 5 | 1 (PB) | 1 | 0 | 1 |
| | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| विद्युत सुरक्षा विभाग अवर विद्युत अभियन्ता | UR | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| आवास विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) | UR | 73 | 22 | 3 (PB-1, PD-1, OA/OL-1) | 4 | 1 | 3 |
| | SC | 27 | 8 | 1 (PD) | 1 | 0 | NA |
| | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 19 | 6 | 1(PB) | 1 | 0 | NA |
| | EWS | 14 | 4 | 1(PB) | 0 | 0 | NA |
| कृषि विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 अभियंत्रण शाखा) | UR | 25 | 8 | 1 (PD) | 1 | 0 | 0 |
| | SC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | OBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| | EWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |

**नोट–**(i) प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत विज्ञापित पद के सापेक्ष दिव्यांगजन हेतु आरक्षण, उक्तांकित तालिका में उल्लिखित दिव्यांगता की श्रेणी (यथा OA, OL, PB, PD) हेतु ही अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 1196 दिनांक 25 मार्च, 2011 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता पद हेतु दिव्यांगजन की श्रेणी (OA, OL, PB, PD) चिन्हित की गयी है। तद्क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश

संख्या : 232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के प्रस्तर–6 के अनुक्रम में दिव्यांगता की श्रेणी (OA, OL, PB, PD) के अभ्यर्थी अपने आरक्षण की मूल उर्ध्वाधर (Vertical) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

(iii) प्रश्नगत विज्ञापन के अन्तर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष दिव्यांगता की उपश्रेणी (OA, OL, PB, PD) के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

**5. <u>कनिष्ठ अभियन्ता–समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता निम्नवत् है–</u>**

**(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं यथा संशोधन नियमावली, 2019 में उल्लिखित प्राविधानों एवं विशेष अपील संख्या : 932/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2018 को पारित निर्णय के अनुसार निर्धारित की जायेगी।**

परन्तु शासन के पत्रांक : 1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। **उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–**310/XXX(2)/2015 **दिनांक 28.07.2015 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवाऐं सम्मिलित नहीं है।**

**(ii)** शासन के पत्रांक : 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

**6. <u>आयु</u> :–** आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। यद्यपि सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायतीराज विभाग हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अन्य सभी विभागों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा सभी विभागों हेतु अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है, किन्तु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 191/XXX (2)/2021-30(10)/2019 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021–22 हेतु अधिकतम आयुसीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है।

इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 को अभ्यर्थी की आयु ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायतीराज विभाग हेतु न्यूनतम 18 वर्ष तथा विज्ञापित अन्य सभी विभागों हेतु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात

इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 को कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायतीराज विभाग हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2003 के पश्चात एवं अन्य विज्ञापित सभी विभागों हेतु 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**7. <u>अधिकतम आयु सीमा में छूट</u> :–** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह–'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या : 6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं0 दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0 124, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

**8. आरक्षण :–** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

**(क)** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

**(ख)** यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

**(ग)** ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

**(घ)** शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

**(ड़)** आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–3"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–3"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

**(च)** विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है। जो भी पद जिस विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

**(छ)** पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या : 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या : 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। **पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा कराना होगा।**

**(ज)** स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

**(झ)** आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या : 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

**(ञ)** शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 397/XXX(2)2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

**(ट)** शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत **परिशिष्ट–4** के साथ संलग्न है।

**9. राष्ट्रीयता :** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

**(क)** भारत का नागरिक हो; या

**(ख)** तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व आया हो; **या**

**(ग)** भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका (पूर्ववर्ती सीलोन) या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगान्डा या युनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

**टिप्पणी :–** ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

**10. चरित्र :–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी :–** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**11. वैवाहिक प्रास्थिति :–** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**12. शारीरिक स्वस्थता :–** किसी अभ्यर्थी के लिए सेवा में किसी मौलिक रिक्ति पर नियुक्ति करने से पूर्व यह आवश्यक है कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय–3 में दिये गये मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह किसी ऐसे शारीरिक रोग से मुक्त है, जिससे उसे अपने शासकीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

**13. आवेदन कैसे करें :–** इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसम्बर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) है।

## 14.ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में Apply Now लिंक पर क्लिक करें। Apply Now page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् खुले Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते है Tick करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहतें है उसके समक्ष Tick करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदशित होगा।

फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate, Graduation, etc का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। भरी हुई Education का विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Education का विवरण भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Diploma Graduation/Post Graduation Details etc में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation etc का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें।इसी प्रकार फार्म में प्रदर्शित प्रविष्टियां भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

(6) तत्पश्चात दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद Click here for Final Submission पर क्लिक करें। तत्पश्चात Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(7) Final Submission के उपरान्त आवेदन पत्र में **त्रुटि होने पर** अभ्यर्थी अपना **आवेदन रद्द (Cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं। **आवेदन रद्द (Cancel)** करने के लिए Login कर Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पजींकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको की Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन **रद्द (cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

**नोट : 1** Final Submission किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information, Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी** ukpschelpline@gmail.com **पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2 Final Submission **के पश्चात्** आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

**15. शुल्क :–** उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा कोविड–19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु दिनांक 31.03. 2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा में आवेदकों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

**16. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–**

1. आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules–2013** और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), (तृतीय संशोधन–2015) व (चतुर्थ संशोधन–2016) आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
2. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
3. लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।
4. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड–**वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

   **(क)** प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

   **(ख)** यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, भले ही उसमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

   **(ग)** यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
5. **उत्तर कुँजी आपत्ति–**वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी से प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष ₹50.00 (₹ पचास मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेगें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापिस नही किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
6. **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**:– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर–पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

7. ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 **(यथा संशोधित)** के आलोक में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
8. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी ही साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे।
9. लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दिवस साक्षात्कार परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में साक्षात्कार शुल्क ₹80.00 एवं आरक्षित वर्ग के अन्य सभी अभ्यर्थियों से साक्षात्कार शुल्क ₹30.00 जमा करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार परीक्षा **हेतु निर्धारित साक्षात्कार शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।** उत्तराखण्ड के चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से साक्षात्कार परीक्षा हेतु शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष **निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 (यथासंशोधित) के आलोक में सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

    **(i)** यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

    **(ii)** अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। ''यदि अधिमानी अर्हता के आधार पर अनर्ह किए गये अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु अभ्यर्थी के अनिवार्य अर्हता से संबंधित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता की संबंध में निर्णय लिया जाएगा।'' (मा0 आयोग का निर्णय दिनांक 29 जुलाई, 2021)

    **(iii)** यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

    **(iv)** यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

    **(v)** यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
11. परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी।

12. लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा की परीक्षा में नान–प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन, अनुमन्य है।
13. **लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–**

    **(क)** शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अंकतालिका, समस्त प्रमाण–पत्र/उपाधि व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) व अधिमानी अर्हता (यदि लागू हो) एवं दावित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र तथा ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र की प्रिंट आउट प्रति।

    **(ख)** आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी. एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    **(ग)** अभ्यर्थी द्वारा उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि के पूर्व जारी हुआ हो।
14. साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा, सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
15. केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"** प्रस्तुत करना होगा।
16. **न्यूनतम अर्हक अंकः–** अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/साक्षात्कार परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
17. अभ्यर्थियों को ही लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर, प्रश्नगत पद पर चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा दी गयी विभागवार/पदवार ऑनलाइन वरीयता के क्रम में अन्तिम रूप से चयनित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
18. **प्रश्नगत विज्ञापन में 09 विभागों के विभिन्न पद विज्ञापित किये गये हैं उक्त पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व दिये गये ऑनलाइन लिंक के माध्यम से विभागवार/पदवार ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र में वरीयता का अंकन करना आवश्यक है।** पदों का आवंटन प्रवीणता सूची, शैक्षिक अर्हता, आयु, सेवा नियमावली, श्रेणी–उपश्रेणीवार तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ऑनलाइन वरीयता के आधार पर किया जायेगा। **प्रश्नगत चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र में दी गयी वरीयता में से एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जायेगा, अर्थात् किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात अन्य पदों हेतु उस अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा।**
19. **आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पदों**

**के सापेक्ष दी गयी वरीयता के आधार पर तैयार किया जायेगा**। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

20. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
21. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।
22. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
23. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
24. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
25. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
26. हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
27. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**
28. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।
29. **परीक्षा भवन में आचरण :–** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त ओ. एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

30. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित**:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
31. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 (यथा संशोधित)** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
32. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही** :– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
33. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–
    1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
    2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा
    3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा
    4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा
    5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
    6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या
    7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या
    8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा
    9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा
    10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या
    11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
    12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा
    13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके

साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

34. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
35. परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
36. आयोग से किये जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थी अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित हो गया हो) का उल्लेख अवश्य करें।
37. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
38. **सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम, संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।**
39. अभ्यर्थी लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उन्हें उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
40. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
41. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से अवगत करायी जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट **www.ukpsc.gov.in** का समय–समय पर अनुश्रवण (Monitoring) करना सुनिश्चित करें।

**-SD-**
**(एस0एल0 सेमवाल)**
**प्र0सचिव।**

## परिशिष्ट–1

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021'' हेतु लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 नगरों में करायी जानी प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है–

| S.No. | CITY | CITY CODE |
|---|---|---|
| 1 | Almora | 01 |
| 2 | Bageshwer | 02 |
| 3 | Champawat | 03 |
| 4 | Haldwani | 04 |
| 5 | Khatima | 05 |
| 6 | Rudrapur | 06 |
| 7 | Pithoragarh | 07 |
| 8 | Dehradun | 08 |
| 9 | Gopeshwer | 09 |
| 10 | Haridwar | 10 |
| 11 | New Tehri | 11 |
| 12 | Rudraprayag | 12 |
| 13 | Srinagar | 13 |
| 14 | Uttarkashi | 14 |

**नोट 1:–** आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते है। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

**2.** लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जायेगा।

## परिशिष्ट– 2

## 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' का पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना
## लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

### (अ) सामान्य योग्यता परीक्षण (पाठ्यक्रम परिशिष्ट – I)

| क्र0सं0 | विषय | कुल प्रश्नों की संख्या | पूर्णांक | समय अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामान्य हिन्दी | 100 | 100<br>(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का) | 02 घण्टा |
| 2 | सामान्य अंग्रेजी | 100 | 100<br>(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का) | 02 घण्टा |

### (ब) अभियंत्रण विषय (पाठ्यक्रम परिशिष्ट – II)

| क्र0सं0 | विषय | कुल प्रश्नों की संख्या | पूर्णांक | समय अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिविल इंजी0<br>(प्रथम प्रश्न–पत्र/द्वितीय प्रश्न–पत्र) | 180/180 | 360/360<br>(प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का) | 3 घण्टा |
| 2 | मैकेनिकल इंजी0<br>(प्रथम प्रश्न–पत्र/द्वितीय प्रश्न–पत्र) | 180/180 | 360/360<br>(प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का) | 3 घण्टा |
| 3 | इलैक्ट्रीकल इंजी0<br>(प्रथम प्रश्न–पत्र/द्वितीय प्रश्न–पत्र) | 180/180 | 360/360<br>(प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का) | 3 घण्टा |
| 4 | एग्रीकल्चर इंजी0<br>(प्रथम प्रश्न–पत्र/द्वितीय प्रश्न–पत्र) | 180/180 | 360/360<br>(प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का) | 3 घण्टा |

### (स) साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा) – 100 अंक

| | | |
|---|---|---|
| 1 | लिखित परीक्षा | 920 अंक |
| 2 | साक्षात्कार | 100 अंक |
| **कुल योग – 1020 अंक** | | |

**पाठ्यक्रम :–**

1. सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–I में दिया गया है।

2. वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम एवं साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा) संबंधी प्राविधान परिशिष्ट– II में दिया गया है।

**नोट** :– सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। सिविल, यांत्रिक, विद्युत एवं कृषि अभियंत्रण में से अभ्यर्थियों को किसी एक शाखा का चयन करना है। सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी एवं सिविल, यांत्रिक, विद्युत एवं कृषि अभियंत्रण का विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

## परिशिष्ट – I

## उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा (मुख्य) परीक्षा

### सामान्य हिन्दी

### लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

**समय : 02 घण्टे** **कुल प्रश्नों की संख्या : 100** **पूर्णांक : 100**

| | |
|---|---|
| **1.** वर्ण संरचना (स्वर और व्यंजन) | 10 अंक |
| **2.** वर्तनी शोधन/विश्लेषण | 10 अंक |
| **3.** शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास | 20 अंक |
| **4.** शब्द भेद – रचना, अर्थ, इतिहास, व्याकरण | 20 अंक |
| **5.** रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग | 05 अंक |
| **6.** वाक्य रचना | 06 अंक |
| **7.** वाक्य शोधन | 05 अंक |
| **8.** शब्द शुद्धिकरण | 05 अंक |
| **9.** लोकोक्ति एवं मुहावरे | 10 अंक |
| **10.** अपठित गंद्यांश – | |
| **(क)** आठ रेखांकित शब्दों/वाक्यों के अर्थ | 08 अंक |
| **(ख)** उपयुक्त शीर्षक का चयन | 01 अंक |

**नोट – प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रश्न–पत्र का स्वरूप हाईस्कूल स्तर का होगा।**

## SYLLABUS FOR UTTARAKHAND COMBINED STATE JUNIOR ENGINEER SERVICE EXAM

## WRITTEN EXAMINATION

**Subject : General English**

**(Objective Type)**

**Time : 02 Hours** **M.M. - 100**

**No.of questions – 100**

| **UNITS** | **M.M.** |
|---|---|
| **1.** Comprehension<br>A passage of appropriate length which is designed to test the ability of the candidate in the following areas:<br>**(a)** Familiarity with vocabulary<br>**(b)** Knowledge of English grammar<br>**(c)** Thematic understanding of the passage | 20 |
| **2.** Use of Articles | 05 |
| **3.** Use of correct Prepositions | 05 |
| **4.** One- word substitution | 05 |
| **5.** Synonyms | 05 |
| **6.** Antonyms | 05 |
| **7.** Filling up of blanks with appropriate words | 05 |
| **8.** Verbs – Main, Auxiliary and Modals | 05 |
| **9.** Active/Passive voice | 05 |
| **10.** Direct/Indirect Narration | 05 |
| **11.** Correct spelling of words | 05 |
| **12.** Tenses | 05 |
| **13.** Re-ordering of given sentences into a meaningful paragraph. | 05 |
| **14.** Subject - Verb agreement | 05 |
| **15.** Idioms and Phrases | 05 |
| **16.** Conjunctions | 05 |
| **17.** Homonyms | 05 |

**Note :** Each Multiple choice question shall be of 01 Mark.

## परिशिष्ट – II

## CIVIL ENGINEERING (DIPLOMA COURSE)

## GENERAL CIVIL INGINEERING

# PAPER-I

## SECTION - A

**(a) Strength of materials and theory of structures.:** 1. Effect of a force, tension and compression, free body diagram, virtual work, force distribution system. 2. Principle of energy, conservation of energy and momentum, rotation of rigid bodies about fixed axis, mass moment of inertia. 3. Stresses and strains: Types of stresses and strains, Definition of tension, compression, shear, bending, torsion, volumetric and lateral strain, Poisson's ratio, Hookes's law. 4. Bending moment and shear force: Types of beam, simply supported, cantilever, fixed, overhanging and continuous beams. 5. Analysis of trusses, slope and deflection of bearms. 6. Columns and struts: Long columns, short columns & struts, slenderness ratio. 7. Torsion: Circular shaft, combined bending, torsion and axial thrust, strength of hollow and solid shaft.

**(b)** Design of reinforced concrete structures.: 1. Design based on working stress method Flexural strenght shear strength and bond strength of a singly reinforced RCC beam. 2. Design of lintels, Design of a Cantilever beam and slab. Design of doubly reinforced concrete beam. 3. Design of RCC slab, design of one way and two way slabs. 4. Design of Reinforced brick beams, slab & lintels, design of T-beams. 5. Design of columns and column footings, cantiliver retaining walls. 6.Components of (i) overhead water tank and (ii) Multistoreyed framed structures. 7. Introduction to design based on limit state method. 8. Presstressed concrete.

**(c) Steel and Machinery structures.:** 1. Tension and Compression members in steel. 2. Design of steel of steel beams. 3. Design of simple column bases. 4. Design of simple trusses and purlins. 5. Design of masonry retaining walls. 6. Design of masonry wall foundation.

**(d) Building estimates & coating, construction management, account & enterpreneurship development.**

## SECTION-B

**(a) Soil mechanics and foundation engineering.:** 1. Fundamental terms and their relationships. 2. Classification and identification of soils. 3. Phase relationship index property, laboratory determination. 4. Capillary phenomenon permeability, factors affecting permeability. 5. compaction, methods of compation. 6. Consolidation, difference between compactions and consolidation. 7. Streesses in soil, shear strength, colomb's equation, unconfined compression test. 8. Earth pressure and retaining structures. 9. shallow and deep foundations, classifications of piles. 10. Stabilisation of soils by lime and cement. 11. Sub-surface exploration.

**(b) Surveying.:** 1. General principles. 2. Chain surveying. 3. Compass Traversing, bearings, local attractions, types of travessing, traverse computations, corrections and missing readings. 4. Leveling-Theory, Temporary & permanent adjustment of levels, types of levelling. Reciprocal levelling, L-section and cross section, Refration and curvature corrections. 5. contouring - characteristics, uses and plotting of contours. 6. Plane table surveying- orientation, plotting methods, two & three point problems, Lehmann's ruler errors and precautions. 7. Theodolite: Adjustmen (Temporary & permanent) Measurement of angles, curves, horizontal and vertical curves, their design and layout transition curves. 8. Minor Instruments Abneys Level, Tangent Clinometer, ceylone Ghat tracer, pantograph and planimeter.

**(c) Building Materials and construction.:** 1.Buildhing Materials: Bricks, their classification and characteristics, building stones, source, quarrying, classification and properties, lime, properties, Cement types, properties and tests, timber and wood products, types, properties and uses, paints, varnishes and distempers, glass and plaster etc., Lime concrete, uses in foundation and terracing, Cement concretes, ingredients, grading of aggregates, workability, water cement ratio, mixing, laying compaction, curing. 2. Building constructions- Detailing of walls, floors, roofs stair cases, doors and windows, finishing of building, plastering pointing, damp proofing etc., Ventilation and air conditioning fire fighting.

**(d) Water supply and sanitation for public building.:** 1. Sources of water, quality and quantity of water supply, water treatment, water distribution, laying of pipes, building water supply & maintenance. 2. Quantity of sewage, sewarage systems, sanitation and drainage, disposal of rainfall and domestic wastes. Including night soil, waste water and garbage, plumbing for public and residential buildings, septic tanks and soak pit, sewage treatment.

## CIVIL ENGINEERING (DIPLOMA COURSE)
## WATER RESOURCES ENGINEERING

# PAPER-II

1. Introduction: Definition of irrigation, necessity of irrigation, history of development of irrigation in india, types of irrigation in india. sources of irrigation water. 2. Rain fall & run-off: Definition of rainfall & run-off, catchment area, dicken's & ryve's formula, types of rain gauges-automatic & non-automatic, stream guaging. 3. Water requirement of crops: Definition of crop season, duty, delta and base period, their relationship, irrigation methods & efficiencies, gross command area, culturable command area, intensity of irrigation, irrigable area, water requirement of crops-kharif and rabi, preparation of water supply schedules for kharif and rabi. 4. Lift irrigation: Types of walls, shallow & deep well, aquifer, types, ground water flow, construction of open wells and tube wells yield of an open/tube well and problems, methods of lifting water, manual and mechanical devices, use of wind mills, lift canals their design, construction and water scheduling. 5. Flow irrigation: Irrigation canals, perrinial irrigation, different parts of irrigation canals and their functions, sketches of different canal cross sections, classification of canals according to their alignment, design of irrigation canals, chezy's formula, mannings formula, kennedy's and lacey's sift theory and equations, comparison of above two silt theory, equations, critical velocity ratio, use of garrets and lacey's charts, various types of canal lining, advantage & disadvantages. 6.Canal head works: Definition, object, general layout functions of different parts, difference between weir and barrage. 7. Regulatory works: Functions and explanation of terms used cross and head regulators, falls, energy dissipates, outlets-different types, escapes. 8. Cross drainage works functions and necessity of the following types: Aqueduct, syphon, superpassage, level crossing, inlet outlet, constructional details of the above. 9. Dams: earthen dams-types, causes of failure, classification into masonry & concrete dams, labelled cross section of goavity dam, spiliways. 10. Water logging and drainage: Definition, causes and effects, detection, prevention and remedies, surface and sub-surface drains and their layout, field drainage, salinity controlling measures, ground water recharging measures. 11. Flood protection: Estimation of flood discharges, systems of flood warning, river behaviour, training works and control, marginal embankments, their design, causes of failure, spurs & dykes, attracting & repelling types, nonstructural flood management, relief & rehabilitation measures. 12. Irrigation management: Checking of irrigated, areas, raising water charges, bills, compensation for crop damages, penalties for unauthorised use of irrigation water, procedure for imposition of panel rates. Canal law and its application, formation of water users, associations and their participation in irrigation management, command area development. 13. Major irrigation projects in India. 14. Fluid machanics: (a) Properties of fluids, hydrostatic pressure of various types of surfaces, measurement of pressure, kinematics of fluid flow. (b) Dynamics of fluid flow, bernouli's theorem, measurement of flow, pilot tube, piezometer, orifices venturimeter, current meter. (c) Flow through pipes-losses and pipe network, water hammer, reynold's number. (d) Flow through open channels-hydolic gredients, equation for uniform flow, chezy's and manning formula most economical section. (e) Measurement of discharges by (i) wairs and (ii) notch. (f) Hydraulic machines-pumps (Reciprocating and Centifugal), Turbines (Implulse & Reaction).

## MECHANICAL ENGINEERING (Diploma Level)

## Paper-I

## SECTION - A

### Applied Mechanics

**Forces:** Transmissibility, moments and couples, funicular polygon, lami's theorem, varigon theorem. **Friction:** Limiting and dynamical friction, coefficient of friction, bodies on inclined planes, simple screw jack. **Machines:** Basic terms-mechanical advantage, velocity ratio, mechanical efficiency. **Lifting machines:** System of pulleys-weston differential pulleys. **Stress and strain:** Volumetric and lateral strains hooke's law, poisson ratio, modulus of rigidity bulk modulus. Application to bars and composite sections. **Beams and trusses:** Determinate cases, bow's notation. Types of supports. **Graphical methods:** Analytical methods of joints and sections. **Thin cylinders and spherical shells:** Hoop stress, longitudinal stress. Changes in dimensions and volumes of thin shells subjected to internal pressure.

### Theory of Machines and Automobile Technology

**Slider crank mechanism:** Turning moment in single cylinder engine: Fluctuation of speed and energy; crank effort diagrams, flywheel size. Gear drive: Gear trains; simple, compound, epicyclic and reverted. automobile gear box. Automobile differential. **Clutches:** Function of clutch in automobiles. Single plate and multiplate clutches. Friction torque for uniform wear and uniform pressure. **Cams:** Comcept, classification of different cams and followers. Application to automobile engines, simple cam profiles for uniform velocity, SHM and uniform acceleration balancing. Static and dynamic balancing. balancing of masses rotating in same plane. Basic concept of several masses rotating in different planes, Application to automobile engines. Belt drive. Derivation of limiting ratios of driveing tensions, centrifugal tension V-belts. Ropes and chains. **Dynamometers:** Classification, functions, construction and working concepts. **Governor:** Functions, classification: Watt, porter, hartnell, hartung. Elementary numericals about height, maximum and minimum radil, controlling force etc.

### Mechanics of Solids

**Mechanical properties of materials:** Concept of stress and strain, stress-strain curves of mild steel, aluminium, cast iron rubber etc., various modulli determination of stresses and strains in bolts, stepped bars, compound bars and columns obligue plane. Principal stresses,mohr circle. **Shear force/bending moments/deflection:** analysis of cases of concentrated and uniformly distributed load. **Shear force and bending moments diagrams:** Cantilever, simply supported, overchanging beams. **Strain energy:** resilience, derivation of formulae of strain energy for uniform bars in tension, shock load, shear stress. Modulus of resilience. **Torsion:** solid and hollw circular shafts-polar modulus, weights, power transmitted. **Springs:** close colled helical springs. Laminated springs. Maximum stress and central defiection, (simple numericals, no proof of formulae). **Columns and struts:** long and short columns, slenderness ratio. End conditions and equivalent lenghts. Euler and rankine formulae (no derivation).

## SECTION-B

### Material Science

**Materials:** Ferrous-iron, steel, alloy steels. Nonferrous metals-aluminium, zinc, copper, tin, lead. Nonmetallic materials-timber, polymers. Basic knowledge of their production. **Structure of materials:** Crystalline, amorphous, arrangement of atoms. Crystal structure, imperfections. mechanical properties of common metals and alloys, deformation. **Heat treatment:** Iron-carbon equilibrium diagram, TTT curves; recovery recrystallisation and grain growth, elementary concepts of hardening, tempering, annealing normalizing and case hardening. **Alliy elements:** effects of alloying Cr,Co,Si,Mn etc., Tool steels, stainless steels, heat resisting alloys, spring steel. **Nonferrous materials:** Duralumin, solders, brass, bronze, gnmetal, inconel. **Non-metallic materials:** Timber-plywood, hard board, seasoning. Polymers, thermoplasts and thermosets. Heat insulating materials. Glass wool, thermocol, rubber. **Electric insulation materials:** Bakelite, mica refractory materials; composites.

### Design and Estimating

**General design considerations for machine parts:** Steps in machine design, factor of safety. Mechanical properties of materials, selection of materials. Machine parts subjected to the following loadings: **(i) Direct and shear loads:** Theaded connection, cotter and knucle joints **(ii) Bending moment:** Design for railway wagon axle and road vehicle axles. Proof load and proof stress. Semi elliptic laminated springs, maximum stress and deflection, **(iii) Twisting moment:** Solid and hollow shafts. Design of keys and coupling bolts in rigid flanged coupling. **Reveted and welded joints:** Types of reveted joints, strength, efficiency, safe load and pitch of revets, lap and butt joints. Common types of welded joints, leg length, throat thickness and size

of weld. Simple design for vee, butt, transverse fillet and parallel fillet welded joints. **Theories of failure:** Maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, concept of equivalent bending moment and torque; **Rolling elements bearing:** Equivalent load, dynamic capacity, life of bearings. **Estimation of material requirements:** Estimation of weight of simple machine parts. Review of the area/volume of triangle, hexagon, octagon, cylinder, frustum of cone and pyramid etc. **Estimation of time for common operations:** Turning, facing, theading, drilling, shaping, chamfering. Simple problems pertaining to above. **Estimation of cost:** Concept of costing-direct materials, indirect materials, direct labour, indirect labour, overhead expenses. Break-even analysis. **Cost estimation of welding:** Cost of materials, fabrication, preparation, welding, finishing and overhead expenses.

### Industrial Engineering

**Plant Layout:** General plant location factors, selection of plant site. Product layout, process layout. **Standardization:** National and international standards, value of standardization. Standardization techniques and problems. **Quality Control:** Elements of quality control and objectives. Frequency distribution. X-R charts, P-charts, C-charts and acceptance sampling concept of production. Inspection and its objectives. Types of inspections. **Work Study:** Flow process chart, flow diagrams, work measurment, time study. Time and motion study. **Products, planning and control:** Sales forecasting and its uses. Planning-products, process, parts, materials. Optimum batch quantity for production and inventory. Routing, dispatching and follow-up activities. **Inventory control:** Elements of control procedurers, types of controls. Inventory control system of bin and recorder cycle system. Safety stock concepts. **Material handling:** Factors in material handling problems. Reduction of cost and time through improved material handling. **Material handling equipment:** Lifting, lowering, transporting and combination devices. **Industrial safety:** Need for safety-legal, humanitarian, economic and social considerations. Safety at work place-unsafe conditions and hazards-electrical hazards, lighting, ventilation, heat control, noise and vibrations, fire and explosion, chemical hazards; hygiene. Brief knowledge of relevant acts like factory act, workman compensation act, Indian boiler act, Indian electricity act, explosive act.

## MECHANICAL ENGINEERING (Diploma Level)

## Paper-II

## SECTION - A

### Thermal Engineering

**Boilers:** Fire tube, water tube, mountings and accessories. Equivalent evaporation, efficiencies. **Steam and gas turbines:** Impulse and reaction. Turbine components. Classification. Steam conndensers, components and construction features. Internal combustion engines, classification. Two stroke and four stroke engines. Main components and their functions. Air standard cycles, otto, diesel, dual; efficiencies. Engine lubrication, cooling systems. **Air compressors:** Types reciprocating and rotary, single stage and two stage compressors. Simple numerical problems.

### Refrigeration and Air Conditioning

**Refrigeration:** Various cycles. COP. Representation of cycles in p-V, T-S and P-H diagrams. **Vapour compression system:** Wet and dry compression. Domestic refrigerator. Vapour absorption system, cycles of operation. Simple numerical problems. **Refrigerants:** Classification, properties $SO_2$, $CO_2$, $NH_3$, Freon-12 etc., **Air conditioning:** Psychrometery, basic ideas of salient terms-dry and wet bulb temperatures, dew point, enthalpy, sensible heating, humidification and dehumidification, sensible heat factor, basic knowledge of room air conditioning. Central air conditioning systems.

### Hydraulics & Hydraulic Machines

**Fluid Properties:** Pressure-depth relationship, total pressure on lamina, condition of equilibrium of floating bodies, meta center and meta centric height (simple numerical problems). **Fluid dynamics:** types of flow, equation of continuity. Bernoulli equation, orifices, coefficients of contraction, velocity and discharge. Minor losses in fluid flow. Venturimeter, orifice meter, pilot tube. **Notches and weirs:** Rectangular notch, V-notch francis and bazin formulae for rectangular weirs. Broad crested weirs. Flow through pipes, friction loss darcy weisbach equation. Simple numerials. **Channels:** uniform flow in rectangular and trapezoidal channels. Chezy and manning equations. Most economical sections. **Hydraulic machines:** Impulse and reaction turbines, pelton, francis and kaplan turbines-constructional and operational features. Velocity diagrams. **Pumps:** Centrifugal and reciprocating pumps. Basic knowledge of constructional and operational features.

## SECTION-B

### Manufacturing Processes

**Metal forming processes:** Classification on the basis of properties of deformability, fusibility and divisibility such as rolling, forging, drawing, extruding, pressing, punching, blanking, spinning. **Welding:** Concept of various welding processes-electric arc, resistance, thermit, metal-inert-gas, tungsten-inert-gas, laser beam, electron beam, explosion and ultrasonic. **Welding of different materials in industries:** Plastics, aluminium, copper, brass, bronze, alloy steels, cast iron, stainless steel; oxyacetylene method. Welding arcs; arc initiation, structure, types, metal transfer characteristics. Different types of electrodes. Basic knowledge of testing of welds and relevant welding code. **Foundry practice:** Patterns and moulding-pattern types, materials, allowances, layout, colour scheme, difects cores. **Moulding process:** Mould materials, types of sands, parting powders, sand mixing and preparation. Moulding defects. Melting and pouring. Basic knowledge of refractory materials and fluxes. Furnaces-cupola, pit, tilting and electric types. **Special castings:** Shell mould casting, die casting, investment mould casting. Centrifugal and continuous casting, full mould casting. **Powder metallurgy:** Basic knowledge of the process, production of metal powders, blending, compaction, sintering etc. Self lubricated bearings. Advantages and limitations of the process.

**Mechine Tool Technology & Maintenance**

**Machine tools:** Basic common features, drive systems, sources of power, work and tool holding devices, speed varying systems, mechanical methods of providing automaticity in machine tools. **Lathe:** Various parts, their functions and kinematics, lathe accessories and attachments. Capstan and turret lathe tools operations carried out on lathes such as turning, taper turning, drilling, screw cutting, reaming, knurling. Common lath tools and their uses. Simple kanowledge of computer numerical control (CNC) lathes and automation. **Milling machines:** Types, components, general maintenance. Operations such as plane milling, angular milling, straddle milling, spur gear milling, endexing. **Shaping, planing and slotting machines:** Components, working principle, quick return mechanism; types of tools used, their geometry. **Drilling and boring machines:** Constructional details and principle of working. Classification such as simple and radial types. Tools used. Maintenance; general and periodic. **Grinding machines:** Types common abrasive materials, grains, grits; speeds and feeds. Use of coolants. **Jigs and fixtures:** Difference between jigs and fixtures, types of jigs. **Cooling processes:** Coolants and cutting fluids their fuctions, selection for different materials and operations.

**Workshop Practice & Production Technology**

**Workshop technology:** Scope in engineering. Brief survey of different shops generally contained in a standard engineering workshop viz. Carpentry, foundry, smithy, sheet metal, fitting, painting and machine shops. **Carpentry:** Common carpentry tools-their classification such as marking and measuring, holding and supporting, cutting and sawing, drilling and boring, striking and turning (name of parts, functions and specification only). **Joining of timber components:** Types of joints, common defects likely to occur in joints, their causes. **Foundry:** Basic knowledge of tools used in foundries. **Patterns-types, uses and allowances:** Green sand maoulding; sand preparation and additives, parting powders, problems in moulding, uses of cores, risers, gates, chills etc. **Smithy:** Basic concepts of operations in smithy shop such as fullering, upsetting, swaging, forge welding drawing down. Tools used in smithy (names, functions and size specifications only) smithy forge, blower, shovel anvil, swage block, striking tools, punch , drift and hammers. **Sheet metal shop:** Basic knowledge of operations such as laying out, shearing, blanking, seaming, burning, stamping etc., tools in sheet metal shop used for marking, measuring, punching. **Fitting shop:** Fasterners like rivets, bolts, nuts, screws, keys, pins etc., (basic understanding only). Tools used in fitting shop such as threading tools, dies, taps, vices, wrench and spanners, hack saw, drills (names, function and specifications only). **Painting shop:** Surface preparation, sand and emery papers, varnishing and polishing. Common materials used such as red oxide, putty, yellow clay. Defects likely to occur in painting and their remedies. **Machine shop:** Elementary theory of metal cutting; chips-types, geometry of formation. Brief idea of newer machining processes such as abrasive jet machining, ultrasonic machining, chemical machining, electric discharge machining, leser beam machining, electron beam machining, plasma arc machining. **Metal finishing processes:** Such as diamond machining, honing, lappings buffing etc.

## ELECTRICAL ENGINEERING (Diploma Level)

## Paper-I

## SECTION - A

**(Brief study of following subjects)**

**1. Basic Electrical Engg.:** Basic terminology and their concept, D.C. circuits, batteries, capacitors, electromagnetism, electromagnetic induction, A.C. circuits, polyphase circuits. **2. Electrical and electronic engg. materials:** Classification, conducting materials, insulating materials, magnetic materials, semi-conductor materials, special purpose materials. **3. Electronics-I:** Semiconductor diode, bipolar junction transistor, basic transistor amplifier, single stage transistor amplifier, transistor power amplifier, feedback in amplifiers, regulated power supply. **4. Electrical machine-I:** Generalized treatment, D.C. machines, transformer, A.C. generator (Alternator). Voltage regulators.

**SECTION-B**

**(Brief study of following subjects)**

**5. Electrical instruments and measurements:** Introduction to electrical measuring instruments, measurement and errors, ammeters and voltmeters (moving coil and moving iron) wattmeters (dynamometer type) and max. demand indicator, energy meter (induction type), miscellaneous measuring instruments, electronic instruments, measurement of resistance, inductance and capacitance. Elements of process instruments. **6. Power plant engg.:** Thermal stations, hydro electric plants, nuclear power plants, diesel power plants, gasturbine plants. Combined working of power plants, major electrical equipment in power stations, recent development. **7. Transmission and distribution of electrical powers:** Electrical design of lines. Constructional features of transmission lines, economic principles of transmission, mechanical design of distribution system lines/power factor improvement, underground cables, carrier communication. **8. Electronics-II:** Digital electronics, microprocessors, oscillators, integrated electronics, operational amplifiers, communication engg.

## ELECTRICAL ENGINEERING (Diploma Level)

## Paper-II

**Section – A**

**(Brief study of following subjects)**

1. **Network Theorems:** KCL, KVL, Thevenin's theorem, Norton's theorem, Superposition theorem and Maximum power transfer theorem.
2. **Electrical Machines-II** : Synchronous motor, Induction motor, FHP motors, Stepper motor, Servomotor, Submersible pumps.
3. **Switchgear and Protection:** Distribution system, Causes of low power factor, Fuses, Switchgears, Circuit breakers, Isolators, protective schemes, overvoltage protection, over current protection, different types of substations.
4. **Non-conventional sources of energy :** Importance and it's present scenario, Future prospects and it's Economics, Solar Energy, Bio Energy, Wind Energy, Geothermal and Tidal Energy.
5. **Estimation and costing in Electrical Engineering :** Introduction and types of wiring, Estimation and costing of overhead and underground distribution. Introduction to Energy Management.
6. **Utilization of Electrical Energy:** Illumination, Electrical welding, Electric-heating, Electrolytic process, Electric circuits in refrigeration, Air conditioner and water cooler, Electric drives and Electric traction.

**Section – B**

**(Brief study of following subjects)**

7. **Installation and Maintenance of Electrical equipment:** Brief study of Electrical maintenance, installation and commissioning, Preventive maintenance of electrical equipments, Electrical safety, Insulation testing and electrical earthing.
8. **Industrial Electronics:** Semiconductor, Introduction to SCR, Controlled Rectifiers, Choppers, Dual Convertors, Cycloconverters, Thyristor control of electric drives and UPS.
9. **Instrumentation and control:** CRO and it's application, open loop and closed control system, Components and circuits of control system, Introduction, working and application of programmable logic controllers (PLC).

10. **Miscellaneous measurements and Transducers:** Meggar and it's application, Transducers, Measurement of displacement, strain, force, torque, pressure flow and temperature, signal conditioning, recording and display systems.

## AGRICULTURAL ENGINEERING (Diploma Level)

## Paper-I

## SECTION - A

**1- Farm Power Engineering & Non Conventional sources of Energy:** Introductions : Sources of power on farms, comperative study and uses. Limitation and brief description of animal, fossil fuel (Diesel/petrol) wind, solar, Biogas and electric power. **I.C. Engines :** Principles Heat engine, principle of operation, classification of I.C. Engines, Principles of operation two stroke and four stroke engine. Diesel and petrol engine, stationary, reciprocating and rotary parts, their material of construction and functions. Concept of terms related with I.C. engine, Numerical problems related with different terms. Performance of engine. **Tractor:** Introduction Classification of tractor and adoptability. Factors affecting selection of tractor. General idea about different makes, models, in fifferent H.P. ranges of tractors. **Hourly Cost of Operation :** Hourly Cost of operation of small petrol engine, diesel engine and tractor.

**2- Non Conventional Enegry ; Bio-gas Technonogy :** Introduction of Biogas, Production of Biogas, Bio-digestion of plants and animals waste, reaction taking place during bio-digestion, gases produced during the process, elimination of unwanted gases such as $CO_2$ and $H_2$ s. Factors affecting production of gas, efficiency of Bio-gas plants in winter, uses of biogas. **Wind Energy Technology:** Types of wind mills-Vertical axis and Horizontal axis. Various uses of wind mills. Site selection for a wind mill construction, working and maintenance of wind mills. **Solar Energy Technology :** Solar radiation and potentiality of solar radiation in India. Application of solar energy. solar collector.

## Section-B

**3- Post Harvest Technology & Agro Based Industries :** Introduction: Importance of grain and seed processing principles of agricultural processing, sequence of operation, Flow digestion services offered by processor of farmers: Wheat, Maize, paddy and Soyabeen, **Agro-Based Industries:** Sugercane crushing, khandsari and Gur making process and equipment, vegetable and animal waste utilization, bye products of Soyabeen and potato, dehydration of vegetables.

**4- Farm & Land Development Machinery : Farm Mechanization:** Definition, Status of farm mechanization in India, Scope, Limitation, Advantages. Primary and Secondary tillage equipment, Sowing and Planting equipment, Harvesting and theshing equipment, Land Development equipment: construction, operation and output of the following Dozen Scraper, Draghoe and Dragline.

## AGRICULTURAL ENGINEERING (Diploma Level)

## Paper-II

## SECTION - A

**1- Irrigation and Drainage Engineering:** Introduction: Definition of Irrigation, History of Irrigation, Necessity and scope of Irrigation. **Water Requirement of Plants:** Types of soils, soil properties in relation of Irrigation and drainage, classes and availability of soil water, Evaporation, transpiration, evapotranspiration, consumptive use, estimating crop water requirements, duty of water, delta. Assessment irrigation water requirements of different crops, estimation of depth and time of irrigation, different criteria for irrigation scheduling depending upon soil plant- atmospheric factor. **Irrigation Methods:** Surface and subsurface methods, sprinkler and drip system of irrigation and conjunctive use. Measurement of irrigation efficiencies, water conveyance, storage, application, distribution and water use efficiency.

**Drainage Engineering:** Definition, necessity, water logging salinity, its control interrelationship of irrigation, drainage, drainage coeficient. Different types of surface and subsurface drainage system.

**2- Minor Irrigation :** Importance, necessity and advantages of minor irrigation, land survey, method of levelling, determination of cuts and fill. Importance and necessity of levelling. Sources of minor irrigation. Definition of tubewell, need, advantage & disadvantage, characteristics of tubewell site, factor affecting site selection.

## Section - B

**3- SOIL & WATER CONSTRUCTION AND LAND RECLAMATION ENGINEERING:** Mechanics, types and causes of soil erosion, factors affecting erosion, damages caused by soil erosion. Agronomical measures for soil & water conservation : Contour tarming, matching, grip cropping, cover cropping, mixed cropping, role of grasses in soil conservation. **Mechanical mothod of erosion control:** Field bunding, contour bunding, graded bunding, ridge and channel terraces. **Gully erosion control:** classification of gullies, control of gullies by temporary and permanent structures: earthen check dams, brush dams, loose rock dams, straight drop

spiliway. **Land Reclamation:** Classification of user soils, salty resistant crops, reclamation of user soils. Reclamation of waste lands forest lands and sandy soils, sanddunes stabilization. **Ravine Reclamation:** Classification of ravines and various measures for ravine reclamation.

# परिशिष्ट–3

## उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

### प्रमाण–पत्र का प्रारूप

**उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र**
**(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....

नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....तहसील .....नगर .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

# परिशिष्ट–3

## उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
## (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

# परिशिष्ट–3

**उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र**
**शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997**
**(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**
**प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....

तहसील ..... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .....

पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित)/पुत्री के पुत्र–पुत्री उपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी .....
(सील) .....

**संस्थान/अस्पताल का नाम और पता**

प्रमाण पत्र संख्या – ..... तारीख .....

**<u>निःशक्तता प्रमाण–पत्र</u>**

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....आयु ..... लिंग .....पहचान चिन्ह् ..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

**क.** गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

**(i)** दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

**(ii)** दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

**(iii)** दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

**(iv)** एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

**(v)** एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

**(vi)** पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

**(vii)** कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

**ख.** अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

**(i)** बी – अंधता

**(ii)** पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

**ग.** कम सुनाई देना

**(i)** डी–बधिर

**(ii)** पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

**2.** यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

**3.** उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

**4.** श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैंः–

**(i)** एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(ii)** पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(iii)** एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(iv)** के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(v)** बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(vi)** एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(vii)** एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(viii)** डब्लू–चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(ix)** एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(x)** एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

**(xi)** आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

| | | |
|---|---|---|
| (डा0.....) | (डा0.....) | (डा0.....) |
| सदस्य | सदस्य | सदस्य |
| चिकित्सा बोर्ड | चिकित्सा बोर्ड | चिकित्सा बोर्ड |

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के
मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

## उत्तराखण्ड सरकार

## (प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

## आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड़.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

| आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो |
|---|

# परिशिष्ट–4

## शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट–4(I) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–4(I) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–4(II) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–4(I) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–4(II) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–4(I) प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

## परिशिष्ट–4

APPENDIX-4(I)

## Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ---------- (name of the candidate with disability), a person with ---------- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ----------, a resident of ---------- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent
of a Government Health care institution
Name & Designation
Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:
Date:

**Note:**

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg.Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

## परिशिष्ट–4

APPENDIX-4(II)

## Letter of Undertaking for using own Scribe

I ----------, a candidate with ----------(name of the disability) appearing for the ----------(name of the examination) bearing Roll No. ---------- at ---------- (name of the centre) in the District ---------- (name of the State). My qualification is ----------.

I do hereby state that ----------(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ----------. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)
Place:
Date:

## परिशिष्ट–5

## 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' हेतु लिखित/साक्षात्कार परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :–

| क्र. सं. | आरक्षण की श्रेणी | मुख्य/लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में) | अन्तिम चयन परिणाम (सम्पूर्ण प्रवीणता सूची) तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा एवं साक्षात्कार) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी | 40% | 45% |
| 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी | 35% | 40% |
| 3 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी | 35% | 40% |
| 4 | अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी | 30% | 35% |

**नोट** :– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।